

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/8/17	<p>वकील शर्मा</p> <p>साथिक आदेश दिनांक 25/8/17</p> <p>को पत्रनाम व पत्रवाली का दिनांक 17/10/17 को पत्र हो। R.H. शर्मा</p> <p>उपर्युक्त अधिकारी कलम (अलवर)</p> <p>17/10/17 केरीकल एच. P.O. पत्र 25/8/17 पत्राव दिनांक 12/11/17 को पत्र हो।</p>
12/11/17	<p>वकील शर्मा</p> <p>साथिक आदेश दिनांक 25/7/17</p> <p>को पत्रनाम व पत्रवाली का दिनांक 26/13/17 को पत्र हो। R.H.</p> <p>उपर्युक्त अधिकारी कलम (अलवर)</p>
26/3/18	<p>वकील शर्मा</p> <p>साथिक आदेश दिनांक 25/7/17</p> <p>को पत्रनाम व पत्रवाली का दिनांक 26/6/18 को पत्र हो।</p> <p>उपर्युक्त अधिकारी कलम (अलवर)</p>
25/9/18	<p>प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य माना जाता है। अतः पत्रवाली लोक अदालत में पत्रावत मुख्यालय पर दिनांक 21/6/18 को पत्र हो।</p> <p>उपर्युक्त अधिकारी कलम (अलवर)</p>
21/6/18	<p>पत्रवाली के मकसद के अनुसार प्रकीर्ण मुख्यालय वादी के निकट परखाए है। साथ ही दिनांक 21/6/18 पर R.H. वकील शर्मा को पत्रवाली के पत्र भुक्त होकर सीका से कर हो चुका है।</p> <p>उपर्युक्त अधिकारी कलम (अलवर)</p>